

Date of Application for the copy	Date fixed for the requisite number of stamps and folios	Date of delivery of the requisite stamp & folios	Date on which the copy was ready for delivery	Date of making over the copy to the applicant
11/6/16	11/6/16	11/6/16	13/6/16	13/6/16

FOLIO NOT AVAILABLE
 सखी प्रतिलिपि अंतिम प्रकाशित खतियान के खेसरा संख्या 1840 ई.
 खता नं० 422 वार्ड सं० 9 जमशेदपुर अधिसूची क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।

खतियान की क्रम सं०	अभिधारी का नाम पिता का नाम जाति और निवास	खेत		भूमी का स्वरूप	रकबा हे० आर० सं०	अभ्युक्ति	स्वत्वाधारी का नाम और उसकी खेवट संख्या मध्यवर्ती भू-स्वामी का नाम और उसका खेवट संख्या यदि हो		(1) अधिभोगी रेयत कर हेसियत और कब्जे की अवधि। (2) लगान किस प्रकार नियत किया गया, आरोही (प्रोग्रेसिव हो तो विशिष्टियों) (3) कोई विशेष शर्त और अनुबंध बात यदि हो।
		खेसरा संख्या	चौहदी				गैर नगदी लगान वाले हरेक प्लाट के सामने बताए कि उस पर कब्जा कैसे है	बन्दोबस्त उचित लगान यदि हो 1 लगान 2 सेस	
422	मुरारी लाल जोशी पिता विरवल जोशी	1815	कुमुन्सी हाव-रुनिज	दोन दो 2	0.11.10	अबैदा दरवल-रामेश्वर प्रसाद शर्मा पिता चिरंजी लाल शर्मा अवधि 1963 से	राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिनिश्चित लगान। 1 लगान 2 सेस	बन्दोबस्त उचित लगान यदि हो 1 लगान 2 सेस	नोट मुकदमा नम्बर 46 सन 1979-80 सी. एन. टी. एक्ट के द्वारा 90 के आदेशानुसार प्लोट नं: 1819, 1840 एवं 1843 खता नं: 422 बनाम मुरारी लाल जोशी विरवल जोशी खता से खारिज होकर खतियान बनाम मोरे मासी ई. के शर्त में दर्ज सम्पदा जायत है। नोट सहायक कन्दोपल पदाधि-सिंहभूम सी. एन. टी. एक्ट द्वारा 85(ब) के मुकदमा नं: 135 सन 99-2000 के आदेशानुसार 260 रु. 10 पैसे (दो ह द: सौ एक रुपये पस पैसे) अलावे सेस लगान बिह दुआ। निर्धारित लगान सन 1998-99 से बसूल होगा। राजस्व पदाधि
		1819	रुनिज कथुधिखरे हास	दोन दो 2	0.61.40				
		1840	कथुधिखरे हास	पत्नी पुरानी	0.13.40				
		1843	रुनिज कथुधिखरे हास	पुरानी पत्नी	0.26.70				
		4			1.12.60	काबिल लगान			

प्रतिलिपिक
 13/6/16
 तुलना किया
 13/6/16

Certified to be True Copy
 13/6/16
 Head Clerk to the Settlement office
 is authorised U/s 76 of the
 Indian Evidence Act. 1872

पर स्वयं अभिलेख छोदानापुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 88(2) तथा मिश्रर एवं उकीसा नगरपालिका संशोधन अधिनियम 1930 की धारा 10(1) के अन्तर्गत वैधता हुआ और इसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 10/11/1999... को किया गया अन्तिम प्रकाशन प्रमाण पर दिनांक 18/11/1999 को मस्ताभरित हुआ है।
 इ.अ.अ.अ.
 कन्दोपल पदाधिकारी
 सिंहभूम

